राजेश बिंदल और हरिंदर सिंह सिद्धू, जे. जे.,

मेसर्स उषा अध्ययन और कृषि कृषि पी. वी. टी. लिमिटेड - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य- उत्तरदाता

सी. डब्ल्यू. पी. नंबर 27532 साल 2013

02 जून, 2017

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894- सेक्शन 4, 5ए और 6- भूमि अधिग्रहण- अधिसूचना का समय वर्जित- अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद 1 साल की अवधि के भीतर अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी की जा सकती है- अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि से अधिक अधिसूचना जारी की गई है, अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो गई है- राज्य कानून की सम्यक प्रक्रिया का पालन करके भूमि अधिग्रहण के लिए नए सिरे से अभ्यास कर सकता है- अधिनियम की धारा 5ए के तहत दायर आपत्तियों पर भी निष्पक्ष रूप से विचार नहीं किया गया था क्योंकि अधिग्रहण की कार्यवाही समय बीतने के साथ समाप्त हो गई थी।

अभिनिर्धारित किया कि, हमारी उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना अधिनियम में निर्धारित अवधि से आगे जारी की गई है, अधिग्रहण

कार्यवाही समाप्त हो गई है। हालाँकि, यह राज्य को कानून की सम्यक प्रक्रिया का पालन करके भूमि अधिग्रहण के लिए नए सिरे से अभ्यास करने से नहीं रोकेगा, यदि यह कानूनी रूप से अनुमत है। (पैरा 41)

आगे कहा कि अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपत्तियों पर विचार करने में केवल तथ्यात्मक पहलुओं पर गुण-दोष का मुद्दा शामिल नहीं होगा, बल्कि इसमें कानूनी मुद्दा भी शामिल हो सकता है, जैसा कि वर्तमान मामले में उठाया गया था कि अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना समय बीतने के साथ ही समाप्त हो गई थी, इसलिए अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती थी। उपरोक्त कानूनी मुद्दे को बस कालीन के नीचे साफ कर दिया गया था। इसलिए, यह राय दी जा सकती है कि अधिनियम की धारा 5-ए के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आपत्तियों पर निष्पक्ष रूप से विचार नहीं किया गया था। (पैरा 54)

आगे कहा कि, ऊपर वर्णित कारणों से, हमारी राय में, रिट याचिकाओं को अनुमति दी जानी चाहिए। अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के एक साल से अधिक समय बाद जारी की गई है, जिसे अधिक टाइम होने के कारण रद्द कर दिया गया है। समय की पाबंदी एक आवश्यक परिणाम के रूप में अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो गई है। यहां तक कि अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना भी समाप्त हो गई है। (पैरा 55)

रितिका गोयल

और रंजीत सैनी, अधिवक्ता,

याचिकाकर्ताओं के लिए

सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 27532 और 28516 साल 2013,

पुनीत बाली, वरिष्ठ अधिवक्ता

सुप्रिया गर्ग, अधिवक्ता,

याचिकाकर्ता के लिए

सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 28591 और 28594 साल 2013

पालिका मोंगा, उप महाधिवक्ता हरियाणा।

रोहित मित्तल, अधिवक्ता

अधिवक्ता दीपक मनचंदा।

प्रतिवादी- हुडा की ओर से

राजेश बिंदल, जे।

(1) यह आदेश 2013 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 27532,28516,28591 और 28594 वाली चार रिट याचिकाओं का निपटारा करेगा, क्योंकि इसमें कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न शामिल हैं।

(2) हालाँकि, तथ्यों को 2013 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 27532 से निकाला गया है।

(3) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षेप में, 'अधिनियम') की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 7.12.1988 (अनुलग्नक पी-7), अधिनियम की धारा 6 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 15.10.2013

(अनुलग्नक पी-24) और विचाराधीन भूमि अधिग्रहण से संबंधित बाद की कार्यवाही को चुनौती दी गई है।

(4) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता संख्या 1 एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो स्टड फ़ार्म्स, प्रजनन, घोड़ों के पालन, घोड़ों के आयात और निर्यात (पशुपालन) और आकस्मिक गतिविधियों के व्यवसाय में लगी हुई है। वर्ष 1970-71 में, याचिकाकर्ता ने गाँव दौलतपुर नसीराबाद (कैटरपुरी), तहसील और जिला गुड़गांव की राजस्व संपदा में स्थित 40.8125 एकड़ भूमि खरीदी।खरीद के बाद, जिस उद्देश्य के लिए अब भूमि का उपयोग किया जा रहा है, उसके लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करके भूमि का व्यापक रूप से विकास किया गया था।152 सहित आवश्यक उद्देश्यों के लिए निर्माण किया गया था।

कर्मचारियों के लिए आवासीय आवास वा लगभग 10,000 पेड़ लगाए गए हैं। दिनाक 13.11.1981 पर, अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता- कंपनी, उसके निदेशकों, उनके रिश्तेदारों के स्वामित्व वाली भूमि सहित लगभग 1,005 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव था। अधिग्रहण में मैसर्स रानी शेवर पोल्ट्री फार्म, मैसर्स जवाला टेक्सटाइल्स मिल्स, मैसर्स इंडो स्विस टाइम्स लिमिटेड, आनंद फ़ार्म्स आदि की भूमि शामिल थी। इसे सेक्टर 21 से 23-ए, गुड़गांव (अब गुरुग्राम) के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव था।उपरोक्त अधिसूचना के बाद अधिनियम की धारा 6 के तहत 2.1.1984,18.1.1984,24.1.1984,30.1.1984 और 15.11.1984

दिनांकित अधिसूचनाएं जारी की गईं। केवल लगभग 702.37 एकड़ भूमि शामिल की गई थी।याचिकाकर्ताओं की भूमि को अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना दिनांक 15.11.1984 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था।

(5) भूमि अधिग्रहण के खिलाफ पीड़ित, याचिकाकर्ताओं ने 1984 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 5623 दायर किया, जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। इस आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।अपील के लिए विशेष अनुमति पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक भी लगा दी। इसविचाराधीनता रहने के दौरान, 8.6.1987 पर याचिकाकर्ताओं और संपदा अधिकारी, हुडा, गुड़गांव और एडमिरल एस. एम. नंदा (सेवानिवृत्त), श्रीमती वीणा मेहरा और मेजर पी. के. मेहरा के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह एक तरह का 'देना और लेना समझौता' था।याचिकाकर्ताओं के स्वामित्व वाली कुल भूमि में से, प्रतिवादी कुछ विकास शुल्कों के भुगतान के अधीन 47.74 एकड़ भूमि जारी करने के लिए सहमत हुए, जैसा कि समझौते में देखा गया है।कुछ अन्य शर्तें निर्धारित की गई थीं, जिन पर दोनों पक्ष सहमत थे।याचिकाकर्ताओं और समझौते के अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं ने रुपये की राशि का भुगतान भी किया। विकास शुल्क के पहले भुगतान के रूप में 1 लाख की रसीद संख्या।83 दिनांकित 3.5.1988।

(6) याचिकाकर्ता हुडा से दिनांक 25.5.1988 पर एक संचार प्राप्त करके आश्चर्यचकित थे कि सरकार ने अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि को फिर से अधिसूचित करने का निर्णय लिया है।

(7) याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता सुश्री रितिका गोयल ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं को पूरी तरह से आश्चर्यचकित करते हुए, इसके निदेशकों और परिवार के सदस्यों को अधिनियम की धारा 4 के तहत फिर से अधिसूचित किया गया था। अजीब बात यह थी कि याचिकाकर्ताओं द्वारा भूमि के बड़े हिस्से को जारी करने पर हस्ताक्षर किए गए समझौतों के समान, हुडा द्वारा मैसर्स रानी शेवर पोल्ट्री फार्म, मैसर्स जवाला टेक्सटाइल्स मिल्स, मैसर्स इंडो स्विस टाइम्स लिमिटेड, आनंद फ़ार्म्स आदि के साथ भी हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि, केवल याचिकाकर्ताओं की भूमि को अधिसूचित किया गया था और अन्य भूमि मालिकों की भूमि को नहीं, जिसे पहले इसी तरह के मेसर्स उषा अध्ययन और कृषि कृषि पी. वी. टी. के तहत जारी किया गया था। प्राइवेट लिमिटेड 'देना और लेना आधार' पर परिस्थितियाँ। अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद, याचिकाकर्ताओं ने भेदभाव की याचिका उठाते हुए 4.1.1989 पर अधिनियम की धारा 5A के तहत आपत्तियां दायर कीं। कलेक्टर अपने वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहते हुए और यह दर्ज करते हुए कि साइट पर कुछ संरचनाएं हैं, राय दी कि आपत्तियों का निर्णय सरकारी स्तर पर ही लिया जाना चाहिए।आयुक्त, नगर और देश योजना के स्तर तक के कार्यालय

टिप्पणियों ने स्पष्ट रूप से सुझाव दिया कि यह भेदभाव का मामला होने के कारण अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए।फिर भी, इसे नजरअंदाज करते हुए और अधिनियम की धारा 5ए के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर कोई अंतिम निर्णय लिए बिना, अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना 6.12.1989 पर जारी की गई थी। हालाँकि, भेदभाव की याचिका पर ध्यान देने के लिए, याचिकाकर्ताओं के मामले में अधिनियम की धारा 6 के तहत उपरोक्त अधिसूचना जारी करने से एक दिन पहले, अन्य जारी की गई भूमि के अधिग्रहण के लिए भी अधिसूचना जारी करने का आदेश पारित किया गया था, जिसके लिए अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना 11.9.1990 पर जारी की गई थी।

(8) याचिकाकर्ताओं ने 1991 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 3822 मेसर्स के रूप में दायर किया। **उषा स्टड एंड एग्रीकल्चरल फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम राज्य** हरियाणा सरकार और अन्य ने उपरोक्त अधिग्रहण को चुनौती दी।11.3.1991 पर यथास्थिति प्रदान की गई थी।विचाराधीनता के दौरान, भूमि से संबंधित पुरस्कार 5.12.1991 पर पारित किया गया था।सुपर संरचनाओं और पेड़ों के लिए पूरक पुरस्कार 25.8.1993 पर पारित किया गया था।सी. डब्ल्यू. पी. नं. 1152 1994 मेसर्स उषा स्टड एंड एग्रीकल्चरल फ़ार्म्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य को दायर किया गया था।

पूरक पुरस्कारों को भी चुनौती देना।यहां तक कि रिट याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान भी, भूमि को जारी करने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध पर इस कारण से विचार नहीं किया गया था कि रिट याचिका लंबित थी।

(9) उपरोक्त रिट याचिकाओं को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.1.2012 के फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।इस फैसले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।इस मामले को सिविल अपील में निपटाया गया था 2013 का सं. 2557 मेसर्स उषा स्टड एंड एग्रीकल्चरल फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 1 जो था अधिनियम की धारा 6 के तहत जारी अधिसूचना को दरकिनार करते हुए दिनांक 1 के निर्णय के माध्यम से अनुमति दी गई, हालांकि, राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आपत्तियों पर निष्पक्ष रूप से विचार करने के बाद भूमि अधिग्रहण के लिए नया निर्णय लेने से नहीं रोका गया। अधिनियम की धारा 5ए।

(10) इसके बाद, याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 5-ए के तहत पहले से दायर आपत्तियों को पूरक बनाया, अन्य बातों के साथ-साथ, एक विशिष्ट याचिका दायर करते हुए कि अधिग्रहण समय बाधित था। कलेक्टर के समक्ष लिखित प्रस्तुतियाँ भी दाखिल की गईं। अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय, कलेक्टर विशिष्ट नहीं थे। उन्होंने याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आपत्तियों के लिए अपनी पैरा-वार टिप्पणियों की तरह एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें विशेष रूप से भेदभाव की याचिका के साथ-साथ

अधिग्रहण को समय की मनाही का उल्लेख नहीं किया गया था।उन्होंने आगे उल्लेख किया कि स्थल का निरीक्षण किया गया है।पैरा-वाइज टिप्पणियां भी पूरी नहीं थीं।

(11) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने संयुक्त स्थल निरीक्षण समिति (संक्षेप में, 'जे. एस. आई. सी.') द्वारा आई. डी. 1 पर आयोजित अपनी बैठक में की गई सिफारिशों का उल्लेख किया, इस प्रभाव के लिए कि पूरी भूमि को अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह आवासीय क्षेत्र 21 से 23-ए, गुड़गांव में आता है, जहां स्टड फार्म गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती है।उसके बाद कार्यालय ने भी स्पष्ट रूप से सुझाव दिया कि कलेक्टर ने अपनी सिफारिशें भेजते समय भेदभाव के मुद्दे को नहीं उठाया है। इस तथ्य के बावजूद, अंततः अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना 15.10.2013 पर जारी की गई।यह इस स्तर पर है कि याचिकाकर्ताओं को फिर से इस अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

(12) उपरोक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कानूनी मुद्दा उठाया कि अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना समय से प्रतिबंधित थी। यह अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने की तारीख से एक साल के भीतर जारी किया जा सकता था। हाथ में मामले में, अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना 7.12.1988 पर जारी की गई थी, जिसके बाद अधिनियम की धारा 6 दिनांक 6.12.1989 के तहत अधिसूचना जारी की गई थी। इसे माननीय

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 2.4.2013 के फैसले के माध्यम से रद्द कर दिया गया था।अंतराल के दौरान, अंतरिम ठहराव था।अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना की तारीख से एक साल की अवधि के भीतर जारी की जा सकती है। एक वर्ष की वह अवधि 7.12.1989 पर समाप्त हो गई।अधिसूचना पहले 6.12.1989 पर जारी की गई थी, केवल एक दिन बचा था, जिसका उपयोग राज्य द्वारा अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए किया जा सकता था, लेकिन इसे 15.10.2013 पर जारी किया गया था, पूरी अधिग्रहण कार्यवाही समाप्त हो गई, भले ही ठहराव की अवधि को बाहर रखा गया हो।माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष रूप से याचिकाकर्ताओं को उनके उचित उपचार का लाभ उठाने की अनुमति दी थी।

(13) समर्थन में पीठ्म सुंदर राव मेसर्स उषा अध्ययन और कृषि कृषि पी. वी. टी. मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा किया गया था। **पद्मा सुंदर राव (मृत) और अन्य बनाम टी. एन. राज्य और अन्य 2, एस. एल. पी. (सी) 1988 का संख्या 11353-55-ए. एस. नायडू और अन्य बनाम तमिल राज्य नाडु और अन्य 3 ने 21.8.1990, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल पर निर्णय लिया** और हरियाणा राज्य और दूसरा बनाम देवेंद्र सागर और अन्य 5 जिसमें इसी कानूनी मुद्दे पर इस न्यायालय की खण्ड पीठ को बरकरार रखा गया था।

(14) याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया एक अन्य तर्क अधिनियम की धारा 5-ए के तहत उनके द्वारा दायर आपत्तियों पर विचार न करने के बारे में था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मुकदमे के पहले दौर में अधिग्रहण को रद्द करते हुए अपने फैसले में विशेष रूप से कहा कि यह शत्रुतापूर्ण भेदभाव का मामला है, हालांकि, याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आपत्तियों में याचिकाकर्ताओं द्वारा विशेष रूप से उठाया गया मुद्दा होने के बावजूद, याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आपत्तियों पर अंतिम निर्णय लेने से पहले कलेक्टर या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया था।वे पूरी तरह से अलग रास्ते पर थे। वास्तव में, कलेक्टर इसमें निहित अधिकार क्षेत्र का निर्वहन करने में विफल रहा था, जिसके तहत उसने कोई भी सिफारिश नहीं की थी, हालांकि वह कर्तव्यबद्ध था।इसलिए, उस आधार पर भी, अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना को रद्द किया जाना चाहिए।(15) याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया एक अन्य तर्क यह था कि पहले की मुकदमेबाजी विचाराधीनता रहने के दौरान, याचिकाकर्ताओं ने लाइसेंस देने के लिए आवेदन दायर किया था, हालांकि अन्य आवेदकों को इसी तरह की परिस्थितियों में लाइसेंस दिए गए थे, लेकिन याचिकाकर्ताओं के साथ केवल इस याचिका पर भेदभाव किया गया था कि रिट याचिका लंबित थी।वास्तव में, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण भूमि को अधिग्रहण से जारी किए जाने के रूप में मान रहा है, क्योंकि उसने 8.6.2015 पर याचिकाकर्ताओं को बाहरी विकास शुल्क जमा करने के लिए नोटिस जारी किया था।

(16) उन्होंने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 5-ए के तहत कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी जमीन खाली होने के बारे में गलत तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जबकि जामबंदी ने स्पष्ट रूप से सुझाव दिया है कि कर्मचारियों के लिए स्टड फार्म, घोड़े/क्वार्टर थे।एक बार जब कलेक्टर द्वारा अधिनियम की धारा 5-ए के तहत रिपोर्ट में तथ्यों का गलत सुझाव दिया गया, तो निर्णय संभवतः सही नहीं हो सकता है।

2013 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 28591।

(17) श्री पुनीत बाली, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिका उसी समूह से संबंधित है।भूमि का कुछ हिस्सा कंपनी के नाम पर पंजीकृत है और कुछ निदेशकों के नाम पर है। तथ्य एक जैसे हैं।

(18) इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्रस्तुत किया कि हालांकि जे. एस. आई. सी. का गठन किया गया था, लेकिन रिपोर्ट का कभी भी याचिकाकर्ताओं के सामने सामना नहीं किया गया।वास्तव में, इस प्रक्रिया में कलेक्टर ने अपनी शक्तियां जे. एस. आई. सी. को सौंप दी थीं, जो गलत थी।अधिनियम की धारा 5-ए के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आपत्तियों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में विचार नहीं किया गया था।मैसर्स रानी शेवर पोल्ट्री फार्म के मामले में भूमि को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील करने के लिए विशेष अनुमति विचाराधीनता रहने के दौरान जारी किया गया था, जो अंतिम निर्णय के अधीन था।यह 2.4.2013 पर तय किया गया था, जबकि भूमि 28.4.2010 पर जारी की गई थी।उन्होंने आगे कहा कि मैसर्स

इंडो स्विस टाइम्स लिमिटेड के मामले में, रिट याचिका को वापस ले लिया गया था क्योंकि लाइसेंस रिट याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान दिया गया था।

2013 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 28516

(19) यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता मृतक एस. एम. नंदा का एल. आर है, जो उनके बेटों में से एक है।एक अन्य बेटे को पार्टी प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाता है।आपत्तियाँ केवल याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई थीं।अन्य सभी तथ्य अन्य रिट याचिकाओं के समान हैं।

(20) दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आधिकारिक रिकॉर्ड पेश करते हुए और उसी का उल्लेख करते हुए कहा कि अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपत्तियां दायर करते समय याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर पहले दौर में अधिग्रहण को रद्द करने के बाद उचित रूप से विचार किया गया था।भेदभाव की दलील मान्य नहीं थी।लिखित बयान में इसे विशेष रूप से समझाया गया है।

(21) मेसर्स इंडो स्विस टाइम्स लिमिटेड को सरकार द्वारा वर्ष 1978 में अपनी परियोजना के लिए भूमि आवंटित की गई थी।अंत में यह पाया गया कि कंपनी को अपने विस्तार और विविधीकरण के लिए भूमि की आवश्यकता थी, इसलिए अधिग्रहण से मुक्त कर दिया गया।मैसर्स रानी शेवर पोल्ट्री फार्म के मामले में भी यही स्थिति थी।वास्तव में, याचिकाकर्ताओं और अन्य भूमि मालिकों के स्वामित्व वाली भूमि, जिनके

साथ याचिकाकर्ता भेदभाव की याचिका दायर कर रहे हैं, सन्निहित नहीं है।याचिकाकर्ताओं की भूमि को जारी करने से पूरे क्षेत्र की योजना में बाधा आएगी।यह राज्य द्वारा अधिग्रहित भूमि के सबसे कीमती टुकड़ों में से एक है।उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं की अधिग्रहित भूमि में से सैकड़ों भूखंडों को तराशा जाएगा, इसके अलावा अन्य मेसर्स उषा अध्ययन और कृषि कृषि पी. वी. टी. के लिए जगह छोड़ी जाएगी। आगे कहा कि कलेक्टर और अन्य अधिकारियों द्वारा आपत्तियों पर विचार करने के बाद, मामले को तत्कालीन मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया था, जो चाहते थे कि अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी की जाए।कलेक्टर की रिपोर्ट पर सरकार की यही राय है। उन्होंने आगे कहा कि कलेक्टर ने अपनी शक्तियां जे. एस. आई. सी. को नहीं सौंपी थीं, जिसका गठन पहले किया गया था। कलेक्टर द्वारा याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आपत्तियों पर अपनी सिफारिशें पहले ही प्रस्तुत करने के बाद जे. एस. आई. सी. की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी।हो सकता है कि रिपोर्ट कलेक्टर द्वारा रिपोर्ट की तारीख से पहले की गई हो, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से आपत्तियों पर विचार किया था।

(22) जहां तक अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना के समय से प्रतिबंधित होने का संबंध है, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 5-ए के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आपत्तियों पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए अधिकारियों को खुला छोड़ दिया था, हालांकि कोई समय सीमा

निर्धारित नहीं की गई थी। हालांकि, अभ्यास जल्द से जल्द किया जाना था।फैसला दिनांकित 2.4.2013 है। याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत सुनवाई की पेशकश की गई और उसके बाद अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना 15.10.2013 पर जारी की गई। इसमें ज्यादा देरी नहीं हुई।याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना समय की पाबंदी है, इसलिए, पूरा अधिग्रहण समाप्त हो गया है, इस स्तर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में विचार नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं को अच्छी तरह से पता था कि अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना 7.12.1988 पर जारी की गई थी, जिसके बाद अधिनियम की धारा 6 दिनांक 6.12.1989 के तहत अधिसूचना जारी की गई थी।यदि उनके अनुसार, अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए केवल एक दिन बचा था और अधिनियम की धारा 6 के तहत नई अधिसूचना जारी करने से पहले सीमित समय में धारा 5-ए के तहत आपत्तियों पर फिर से विचार करना संभव नहीं था, तो याचिकाकर्ताओं को वहां तर्क देना चाहिए था और फिर यह कि अधिग्रहण ही समाप्त हो गया है।अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपत्तियों पर विचार करने और अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना को दरकिनार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नई अधिसूचना जारी करने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया था। इस पूरी कवायद को पूरा करने से पहले, राज्य ने हरियाणा के तत्कालीन महाधिवक्ता और कानूनी अनुस्मारक से भी राय ली थी।राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के

फैसले का उल्लेख करते हुए हरियाणा बनाम मेसर्स विनोद ऑयल एंड जनरल मिल्स और अन्य में यह तर्क दिया गया कि सार्वजनिक हित को निजी हित पर हावी होना चाहिए।

(23) जवाब में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि हालांकि मैसर्स मेगा कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली भूमि को अधिग्रहण से मुक्त कर दिया गया था, लेकिन बाद में कंपनी को मैसर्स मेक वेव सी रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया, जब इसे समूह आवास कॉलोनी के रूप में क्षेत्र को विकसित करने का लाइसेंस दिया गया।

(24) पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुनी और पेपर बुक का अध्ययन किया।

(25) वर्तमान रिट याचिकाओं में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो प्राथमिक मुद्दे उत्पन्न होते हैं, वे हैंः

(i) क्या अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना समयबद्ध है?

((ii) क्या अधिनियम की धारा 5-ए के तहत दायर आपत्तियों पर निष्पक्ष रूप से विचार किया गया था?

मुद्दा सं. (i)

(26) इस मामले का एक उतार-चढ़ाव वाला इतिहास है।कुछ तथ्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उनके

द्वारा वर्ष 1970-71 में भूमि खरीदी गई थी।इसे स्टड फार्म के रूप में विकसित किया गया था।घोड़ों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से आवश्यक निर्माण किया गया और खुले क्षेत्र का भी विकास किया गया।लगभग 10,000 पेड़ लगाए गए। 13.11.1981 पर, अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें याचिकाकर्ताओं की भूमि सहित लगभग 1,005 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव था।इसमें मैसर्स रानी शेवर पोल्ट्री फार्म, मैसर्स जवाला टेक्सटाइल्स मिल्स, मैसर्स इंडो स्विस टाइम्स लिमिटेड, आनंद फ़ार्म्स आदि के स्वामित्व वाली भूमि भी शामिल थी। इसे सेक्टर 21 से 23-ए, गुड़गांव के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव था।कुल 1 एकड़ भूमि के विभिन्न भागों के लिए, अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचनाएं वर्ष 1984 में अलग-अलग तिथियों पर जारी की गई थीं (पैरा संख्या में विवरण।4).हालाँकि, जैसा कि याचिकाकर्ताओं के मामले में दावा किया गया है, अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना दिनांकित 15.11.1984 थी।

(27) मुकदमे के पहले दौर में याचिकाकर्ताओं ने सी. डब्ल्यू. पी. दायर की। 1984 का सं. 5623 मेसर्स उषा स्टड एंड एग्रीकल्चरल फ़ार्म्स (पी) लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, अधिग्रहण को चुनौती देते हुए। इसे 24.10.1985 दिनांकित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। इस आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।नोटिस जारी करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक भी लगा दी। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील करने की

विशेष अनुमति विचाराधीनता रहने के दौरान, पक्षों के बीच एक 'देने और लेने के समझौते' पर हस्ताक्षर किए गए थे। जिसके संदर्भ में प्रतिवादी-राज्य विकास शुल्क के भुगतान के अधीन 47.74 एकड़ भूमि जारी करने के लिए सहमत हुआ। कुछ अन्य शर्तों पर भी सहमति बनी।विकास शुल्क के संबंध में शर्तों के संदर्भ में, जैसा कि समझौते में निहित है, याचिकाकर्ताओं ने रु। 3.5.1988 पर पहली किस्त के रूप में 1 लाख।हालाँकि, इसके तुरंत बाद याचिकाकर्ताओं को हुडा द्वारा 25.5.1988 पर एक संचार भेजा गया कि राज्य ने अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि को फिर से अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। पुनः अधिग्रहण के लिए कार्रवाई केवल याचिकाकर्ताओं के मामले में करने की मांग की गई थी, न कि अन्य भूमि मालिकों के मामले में, जिनकी भूमि को भी याचिकाकर्ताओं के साथ 'देने और लेने के समझौते' पर हस्ताक्षर करने पर अधिग्रहण से मुक्त कर दिया गया था। 7.12.1988 पर अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करने पर, याचिकाकर्ताओं ने भेदभाव की याचिका उठाते हुए अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपत्तियां दायर कीं।कलेक्टर ने दायर आपत्तियों पर कोई राय नहीं दी। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने निर्णय सरकार पर छोड़ दिया। भेदभाव के मुद्दे को विस्तार से देखा गया और विभिन्न अधिकारियों द्वारा इस पर टिप्पणी की गई।कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने की प्रक्रिया में, यह दर्ज किया गया कि भेदभाव की याचिका दायर की गई है और अन्य जारी की गई भूमि का भी अधिग्रहण किया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी होने से ठीक एक दिन पहले, फाइल पर निर्णय लिया

गया था कि जारी की गई भूमि के दूसरे हिस्से को भी अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचित किया जाए, जिसके लिए धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी की गई थी।

(28) याचिकाकर्ताओं ने अधिग्रहण को चुनौती देते हुए 1991 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 3822 दायर किया।यथास्थिति प्रदान की गई।याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान, भूमि से संबंधित पुरस्कार 5.12.1991 पर पारित किया गया था, और पेड़ों और संरचनाओं के लिए पूरक पुरस्कार 25.8.1993 पर पारित किया गया था, 1994 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 1152 वाली नई याचिका पुरस्कारों को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। रिट याचिकाओं को 27.1.2012 के फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।इस फैसले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसे 2013 की दीवानी याचिका सं 2557 में पारित दिनांक 1 के फैसले के माध्यम से अनुमति दी गई थी।अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था।अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना को रद्द करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 5-ए के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आपत्तियों पर निष्पक्ष रूप से विचार करने के बाद राज्य को नया निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी थी। याचिकाकर्ताओं को सरकार का निर्णय उनके लिए प्रतिकूल होने की स्थिति में उनके उचित उपाय का लाभ उठाने की स्वतंत्रता भी दी गई थी।निर्णय से प्रासंगिक पैरास नीचे निकाले गए हैंः

"35. परिणामस्वरूप, अपीलों की अनुमति दी जाती है, विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और धारा 6 (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी घोषणा को रद्द कर दिया जाता है।हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह निर्णय राज्य सरकार को धारा 5-ए (1) के तहत अपीलार्थियों द्वारा दायर आपत्तियों पर निष्पक्ष रूप से विचार करने के बाद नया निर्णय लेने से नहीं रोकेगा।

36. यदि राज्य सरकार का अंतिम निर्णय अपीलार्थियों के लिए प्रतिकूल है, तो वे एक उपयुक्त न्यायिक मंच के समक्ष इसे चुनौती देने के लिए स्वतंत्र होंगे और अपने कारण के समर्थन में सभी कानूनी रूप से स्वीकार्य दलीलों का आग्रह करेंगे।"

(29) इसके बाद अधिनियम की धारा 5-ए के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आपत्तियों पर विचार करने के बाद, अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना 15.10.2013 पर जारी की गई।

(30) याचिकाकर्ताओं ने उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 15.10.2013 को इस याचिका पर चुनौती दी है कि यह अधिनियम की धारा 6 के तहत निर्धारित अवधि से परे है, जिसमें प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना की तारीख से एक साल की अवधि के भीतर जारी की जा सकती है।

निर्विवाद तिथियाँ निम्नानुसार हैं;

अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना की तारीख 7.12.1988

अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना की तारीख 6.12.1989

(इस अधिसूचना को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2013 की दीवानी याचिका सं 2557 में 2.4.2013 पर रद्द कर दिया गया था)।

अधिनियम की धारा 6 के तहत नई अधिसूचना 15.10.2013 (वर्तमान रिट याचिका में आक्षेपित)

(31) अधिनियम की धारा 6 (1) के प्रासंगिक प्रावधानों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

“6. घोषणा कि जनता के लिए भूमि की आवश्यकता है

उद्देश्य।- (1) इस अधिनियम के भाग 7 के प्रावधान के अधीन, उपयुक्त सरकार को धारा 5ए, उप-धारा (2) के तहत की गई रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद संतुष्ट किया जाता है कि किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए या किसी कंपनी के लिए किसी विशेष भूमि की आवश्यकता है, तो ऐसी सरकार के सचिव या उसके आदेशों को प्रमाणित करने के लिए विधिवत अधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत उस आशय की घोषणा की जाएगी और धारा 4, के तहत एक ही अधिसूचना द्वारा कवर की गई किसी भी भूमि के विभिन्न पार्सल के संबंध में समय-समय पर अलग-अलग घोषणाएं की जा सकती हैं।

उप-धारा (I) इस बात पर ध्यान दिए बिना कि धारा 5ए, उप-धारा (2) के तहत एक रिपोर्ट या अलग-अलग रिपोर्ट (जहां भी आवश्यक हो) बनाई गई है या नहीं;

बशर्ते कि धारा 4, उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना द्वारा कवर की गई किसी विशेष भूमि के संबंध में कोई घोषणा नहीं -

(iii) भूमि अधिग्रहण (संशोधन और वैधता) अध्यादेश, 1967 (1967 का 1) के प्रारंभ के बाद, लेकिन भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1984 के प्रारंभ से पहले, अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन साल की समाप्ति के बाद प्रकाशित किया जाएगा; या (iv) भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1984 के प्रारंभ के बाद प्रकाशित किया जाएगा, अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक साल की समाप्ति के बाद किया जाएगाः

(32) बशर्ते कि ऐसी कोई घोषणा तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी संपत्ति के लिए दिए जाने वाले मुआवजे का भुगतान किसी कंपनी द्वारा या पूरी तरह से या आंशिक रूप से सार्वजनिक राजस्व से या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित या प्रबंधित किसी निधि से नहीं किया जाता है।

स्पष्टीकरण 1.- पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी भी अवधि की गणना करने में, वह अवधि जिसके दौरान धारा 4, उप-धारा (1) के तहत जारी अधिसूचना के अनुसरण में की जाने वाली किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही

पर अदालत के आदेश द्वारा रोक लगा दी जाती है, को बाहर रखा जाएगा।

स्पष्टीकरण 2.- जहाँ ऐसी संपत्ति के लिए दिए जाने वाले मुआवजे का भुगतान राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम की निधियों से किया जाना है, वहाँ ऐसे मुआवजे को सार्वजनिक राजस्व से भुगतान किया गया मुआवजा माना जाएगा।" (33) याचिकाओं के वर्तमान समूह में शामिल एक विवाद के समान, माननीय की एक संविधान पीठ द्वारा विचार किया गया था । पद्म सुंदरा राव के मामले में उच्चतम न्यायालय (ऊपर)।उस मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने माननीय के निर्णय पर भरोसा करते हुए एन. नरसिम्हा बनाम कर्नाटक राज्य 7 में उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना को बरकरार रखते हुए कहा गया कि अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना को रद्द करने के बाद, अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए सरकार के पास एक साल की नई अवधि उपलब्ध थी। इसके विपरीत एक अन्य निर्णय का उल्लेख करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने A.S.Naidu के मामले (ऊपर) और कुछ अन्य निर्णयों में यह विचार रखते हुए कि यदि अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना को रद्द कर दिया जाता है, तो अधिनियम की धारा 6 के तहत नई अधिसूचना अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि से आगे जारी नहीं की जा सकती है, उसी मुद्दे पर अलग-अलग विचार होने के कारण, मामले को संविधान पीठ द्वारा सुनवाई के लिए भेजा गया था।एन. नरसिम्हा के मामले (उपरोक्त) में

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए पहले के विचार को गलत और खारिज कर दिया गया था, जबकि ए. एस. नायडू और **ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल के मामलों (ऊपर) की पुष्टि की गई।**

(34) एन. नरसिम्हा के मामले (उपरोक्त) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राय दी थी कि यदि अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रकाशित की जाती है, तो अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना मान्य है क्योंकि कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुसार की गई थी।

(35) कानून के पुनर्लेखन और मामले की चूक के संबंध में पक्षों द्वारा उठाई गई दलीलों पर विचार करते हुए, पद्म सुंदर राव के मामले (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राय दी कि न्यायालय केवल प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए है और अधिनियम की धारा 6 (1) की भाषा को फिर से लिखने के लिए नहीं है, जो कि स्पष्ट और स्पष्ट है।इसमें कुछ पढ़ने की गुंजाइश नहीं थी, जैसा कि एन. नरसिम्हा के मामले (ऊपर) में किया गया था।प्रदान की गई अवधि को उच्च न्यायालय के आदेश की सेवा की तारीख से चलाने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता था, क्योंकि इस तरह की व्याख्या को अधिनियम की धारा 6 (1) की भाषा के साथ नहीं लिया जा सकता था। माननीय की संविधान पीठ के फैसले से प्रासंगिक पैरा पद्म सुंदरा राव के मामले में सुप्रीम कोर्ट

मामला (ऊपर) नीचे निकाला गया हैः-

“12. अधिनियम के पुनर्लेखन और केसस ओमिसस के संबंध में प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।यह कानून में अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय किसी भी वैधानिक प्रावधान में कुछ भी नहीं पढ़ सकता है जो स्पष्ट और स्पष्ट है।अधिनियम विधायिका का एक आदेश होता है।अधिनियम में प्रयुक्त भाषा विधायी इरादे का निर्धारक कारक है।निर्माण का पहला और प्राथमिक नियम यह है कि विधान का इरादा स्वयं विधानमंडल द्वारा उपयोग किए गए शब्दों में पाया जाना चाहिए।सवाल यह नहीं है कि क्या माना जा सकता है और क्या किया गया है, बल्कि यह है कि क्या कहा गया है।"क़ानूनों को यूक्लिड के प्रमेय के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।जज लर्नड हैंड ने कहा, "लेकिन शब्दों को उद्देश्यों की कुछ कल्पना के साथ समझा जाना चाहिए। जो उनके पीछे है।(लेनिघ वैली कोल कं. वी. देखें। **येनसावेज 218 एफआर 547)।इस दृष्टिकोण को यूनियन में दोहराया गया था। भारत और अन्य एस. वी.वेदेम वास्को डे के फिलिप टियागो डी गामा**

गामा (ए. आई. आर 1990 एस. सी. 981)।

13. डॉ. आर. वेंकटचलम और अन्य आदि में।अन्य डी. परिवहन आयुक्त और अन्य आदि।(ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 842) में यह कहा गया था कि न्यायालयों को वैचारिक संरचना या योजना की अपनी पूर्व-कल्पित धारणाओं के आधार पर किसी प्रावधान के अर्थ के अप्रत्याशित निर्धारण के खतरे से बचना चाहिए, जिसमें व्याख्या किए जाने वाले प्रावधान कुछ

हद तक उपयुक्त हैं।वे व्याख्या के भेष में विधायी कार्य को हड़पने के हकदार नहीं हैं।

14. किसी प्रावधान की व्याख्या करते समय न्यायालय केवल कानून की व्याख्या करता है और इसे कानून नहीं बना सकता है।यदि कानून के किसी प्रावधान का दुरुपयोग किया जाता है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाता है, तो यदि आवश्यक समझा जाए तो इसे संशोधित करना, संशोधित करना या निरस्त करना विधायिका का काम है।[ऋषभ एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम।पी. एन. बी. कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड (2000 (5) एस. सी. सी. 515)] विधायी मामले को न्यायिक व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है।धारा 6 (1) की भाषा सरल और असंदिग्ध है।इसमें कुछ पढ़ने की गुंजाइश नहीं है, जैसा कि नरसिंहैया के मामले (ऊपर) में किया गया था।नंजुदैया के मामले (ऊपर) में, उच्च न्यायालय के आदेश की सेवा की तारीख से समय अवधि को चलाने के लिए अवधि को और बढ़ाया गया था।इस तरह के दृष्टिकोण का धारा 6 (1) की भाषा के साथ मिलान नहीं किया जा सकता है।यदि दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया जाता है तो इसका मतलब यह होगा कि एक मामला न केवल धारा 6 (1) के परंतुक के धारा (i) और/या (ii) द्वारा, बल्कि एक गैर-निर्धारित अवधि द्वारा भी कवर किया जा सकता है।यही कभी भी विधायी इरादा नहीं हो सकता है।

XXXXXX

15. टकटकी निर्णय लिया सिद्धांतों की प्रयोज्यता से संबंधित याचिका स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है।के चिन्नाथांबी गौंडर (उपरोक्त) में निर्णय 1984 के अधिनियम द्वारा संशोधन से बहुत पहले 22.6.1979 पर दिया गया था। यदि विधानमंडल उन मामलों में नया जीवन देने का इरादा रखता है जहां धारा 6 (1) के तहत घोषणा रद्द कर दी जाती है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि वह विशेष रूप से इसके लिए प्रावधान करके ऐसा नहीं कर सकता था।यह तथ्य कि विधायिका ने विशेष रूप से स्थगन या निषेधाज्ञा के आदेशों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए प्रावधान किया है, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि किसी अन्य अवधि को बाहर करने का इरादा नहीं था और कोई 164 नहीं है। सीमा की कोई अन्य अवधि प्रदान करने के लिए गुंजाइश।मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा उच्चीकृत उक्ति 'एक्टस क्यूरिया नेमेनेम ग्रेविबिट' का इस मामले की तथ्य स्थिति पर कोई अनुप्रयोग नहीं है।

16. नरसिंहैया के मामले (ऊपर) और नंजुदैया के मामले (ऊपर) में व्यक्त किया गया विचार सही नहीं है और अति-शासित है, जबकि ए. एस. नायडू के मामले (ऊपर) और ऑक्सफोर्ड के मामले (ऊपर) में व्यक्त किया गया विचार पुष्ट है।"

(जोर दिया गया)।

(36) पीठ्म सुंदरा राव के मामले (उपरोक्त) में माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले के बाद 2006 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 1123 में इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ देवेंद्र को दोषी ठहराया।

सागर आदि बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 12.3.2008 पर निर्णय लिया।द.

देवंदर सागर के मामले (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे बरकरार रखा गया था।उच्च न्यायालय के फैसले से जो तथ्य उपलब्ध हैं, वे हैंः

अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना 18.1.2001

अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना (लागू करना) 19.1.2001

तात्कालिक प्रावधान)

उच्च न्यायालय में चुनौती सी. डब्ल्यू. पी. सं. 4887/2002

अधिसूचनाएँ

अंतरिम रोक दी गई 7.2.2002

कलेक्टर द्वारा पुरस्कार 8.2.2002

उच्च न्यायालय ने धारा 6 के तहत अधिसूचना को दरकिनार कर दिया 12.1.2004

अधिनियम को अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपत्तियां दर्ज करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था

धारा 5-ए के तहत आपत्तियां दायर की गईं 11.2.2004

अधिनियम की धारा 6 के तहत नई अधिसूचना 30.12.2004

(37) उपरोक्त अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती देते हुए, इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ राय दी कि भले ही 23 महीने की अवधि के दौरान इस न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम रोक को बाहर रखा गया हो, फिर भी अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा एक वर्ष की अवधि के बाद, अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचना और अन्य कार्यवाहियों को रद्द कर दिया गया।राज्य ने इस न्यायालय के उपरोक्त फैसले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी।माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में देखा गया विशिष्ट तथ्य यह है कि इस न्यायालय द्वारा मुकदमे के पहले दौर में अंतरिम रोक लगाने से पहले, जहां भूमि मालिकों की शिकायत थी कि वे अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपत्तियां दर्ज करने से वंचित थे, अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए निर्धारित एक वर्ष की अवधि पर, जब अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी की गई थी, पहले ही समाप्त हो चुकी थी।इस न्यायालय की खण्ड पीठ 2002 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 4887 में नीलम राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना को रद्द करते हुए भूमि मालिकों को अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपत्तियां दर्ज करने की अनुमति दी और बाद में राज्य को अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करने की अनुमति दी। इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपत्तियां दायर करने और अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करने की अनुमति देने में गलती कर रहा था, जब उस तारीख को अधिनियम की धारा 6 के

तहत अधिसूचना को रद्द करने के बाद, यहां तक कि अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना भी समाप्त हो गई थी, तो मामले को छोड़ दिया जाना चाहिए था।लेकिन फिर भी यह पाते हुए कि न्यायालय के एक अधिनियम के कारण किसी भी पक्ष को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है और अंत में पीठ्म सुंदर राव के मामले (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए, इस न्यायालय के खण्ड पीठ के फैसले के आदेश को बरकरार रखा गया।देवंदर सागर के मामले (उपरोक्त) से प्रासंगिक पैरा नीचे निकाला गया हैः-

“11. खण्ड पीठ ने अधिसूचना के साथ-साथ पद्म सुंदर राव पर घोषणा को दरकिनार करने के अपने फैसले की भविष्यवाणी की है, जिसका विडंबना यह है कि पिछली खण्ड पीठ पालन करने में विफल रही थी।पीठ्म सुंदर राव मामले में संवैधानिक पीठ के फैसले में कहा गया है कि धारा 6 (1) की भाषा स्पष्ट और स्पष्ट है और समय अवधि को बढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि यह विधायी इरादे के अनुरूप नहीं होगा।अपीलकर्ता का यह तर्क कि दिनांक 1 की घोषणा प्रारंभिक घोषणा की निरंतरता है, इस प्रकार स्पष्ट रूप से गलत है, क्योंकि ऐसा निष्कर्ष पद्म सुंदर राव द्वारा निर्धारित समय की सख्त व्याख्या और धारा 6 की स्पष्ट भाषा के बावजूद होगा।यदि विधानमंडल इस तरह की निरंतरता की अनुमति देने का इरादा रखता है, तो वह विशेष रूप से इसके लिए प्रावधान करके ऐसा करता, जैसा कि उसने स्थगन और निषेधाज्ञा के आदेशों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए किया है। इसके अलावा, अपीलकर्ता राज्य किसी गलत

आदेश पर भरोसा नहीं कर सकता है जो प्रतिवादी के अधिकारों के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करता है।इस कानूनी सिद्धांत का उल्लेख करना उचित होगा कि किसी भी पक्ष को न्यायालय की गलती के लिए पीड़ित नहीं होना चाहिए।चूंकि मुआवजे की गणना धारा 4 की अधिसूचना की तारीख को भूमि के मूल्य के आधार पर की जाती है, इसलिए खण्ड पीठ के दिनांक 1 के आदेश के परिणामस्वरूप भूमि मालिकों को 2001 की दरों पर मुआवजा मिला, भले ही पुरस्कार अंततः 2006 में पारित किया गया था और प्रतिवादीओं को मुआवजे का भुगतान किया जाना बाकी है।यदि खण्ड पीठ के आदेश ने केवल घोषणा को रद्द कर दिया होता, जिसके परिणामस्वरूप पूरा अधिग्रहण समाप्त हो जाता, तो अपीलकर्ता राज्य को अधिग्रहण की कार्यवाही फिर से शुरू करनी पड़ती, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादीओं को नई अधिसूचना के समय वर्तमान बाजार दरों पर मुआवजा प्राप्त होता।इसलिए हम पाते हैं कि आई. डी. 1 की घोषणा को केवल पिछली धारा पीठ के गलत और प्रतिकूल आदेश के आधार पर बरकरार नहीं रखा जा सकता है।हम विवादित फैसले में उच्च न्यायालय के फैसले से सहमत हैं और परिणामस्वरूप अपील को खारिज कर देते हैं।"

(38) इस मुद्दे पर आगे खण्ड पीठ द्वारा विचार किया गया।

अनिल गुप्ता और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य 8.मामले में अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना 22.12.2010 पर जारी की गई थी, जिसके बाद अधिनियम की धारा 6 दिनांक 18.5.2011 के तहत अधिसूचना जारी की गई थी। 2011 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 19449

अधिग्रहण को चुनौती देते हुए दायर किया गया था।18.10.2011 पर अंतरिम रोक दी गई थी। अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना को दरकिनार करते हुए और उसमें प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों पर विचार करने का निर्देश देते हुए रिट याचिका का निपटारा किया गया था।11.6.2012 पर आपत्तियों की अस्वीकृति के बाद, अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना 3.10.2012 पर जारी की गई थी।रोक की अवधि को हटाने के बाद यानी अंतरिम रोक की तारीख से और रिट याचिका का निपटारा करने के बाद, अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना एक वर्ष की अवधि से अधिक पाई गई, इसलिए इसे रद्द कर दिया गया।नतीजतन, अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना को भी समाप्त माना गया।निर्णय का प्रासंगिक पैरा नीचे दिया गया हैः-

“9. मान लीजिए, वर्तमान मामले में, अंतरिम आदेश था याचिकाकर्ताओं द्वारा पहले दायर 2011 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 19449 में इस न्यायालय द्वारा <आई. डी. 2 पर प्रदान किया गया जो 15.3.2012 तक लागू रहा।इस प्रकार, उपरोक्त तिथियों के बीच की अवधि को हटाने के बाद, अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करने की सीमा 12.8.2012 तक थी। इस प्रकार, 3.10.2012 पर जारी की गई अधिसूचना स्पष्ट रूप से सीमा से परे थी। नतीजतन, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और अधिनियम की धारा 6 (अनुलग्नक पी-12) के तहत जारी की गई अधिसूचना को रद्द कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप,

अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना को भी समाप्त माना जाएगा।उपरोक्त अधिसूचनाओं के अनुसरण में की गई कोई भी परिणामी कार्यवाही भी नहीं है।"

(39) पद्मश्री में श्रीमती. अंजोली इला मेनन बनाम द हरियाणा राज्य और अन्य 9 जिसका आधिकारिक टिप्पणियों में भी उल्लेख मिलता है, फिर से इसी तरह की परिस्थितियों में अधिसूचना को सीमा से परे होने के कारण रद्द कर दिया गया।फैसला अंतिम हो गया क्योंकि कोई अपील दायर नहीं की गई थी।इस मामले में, अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करने की तारीख 24.6.2008 थी। अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना अधिनियम की धारा 17 के तहत तत्काल प्रावधानों को लागू करके 14.7.2008 पर जारी की गई थी। 2009 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 6809 उस अधिग्रहण को चुनौती देते हुए दायर किया गया था जिसमें 6.8.2009 पर अंतरिम रोक दी गई थी। 28.1.2011 पर, अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा को रद्द कर दिया गया था।याचिकाकर्ताओं को आपत्तियां दायर करने की स्वतंत्रता दी गई थी, जिन पर निर्णय की तारीख से एक महीने के भीतर निर्णय लिया जाना था।अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपत्तियों के निर्णय के बाद, अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना 3.2.2012 पर जारी की गई थी।राज्य द्वारा उसमें यह याचिका दायर की गई कि अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना सीमा के भीतर थी, यदि इस न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना को रद्द करने वाले आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख

से विचार किया जाता है, तो इसे खारिज कर दिया गया था और अनिल गुप्ता के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय के पहले के फैसले का पालन करते हुए अधिग्रहण की कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था।

(40) 2013 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 28430 में इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा इसी तरह का विचार लिया गया था-भरत सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 5.5.2015 पर निर्णय लिया।

(41) हमारी उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना अधिनियम में निर्धारित अवधि से आगे जारी की गई है, अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो गई है। हालांकि, यह राज्य को कानून की सम्यक प्रक्रिया का पालन करके भूमि अधिग्रहण के लिए नए सिरे से अभ्यास करने से नहीं रोकेगा, यदि यह कानूनी रूप से अनुमत है।

मुद्दा सं. (ii)

(42) यद्यपि अंक संख्या (i) पर अभिलिखित निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, अंक संख्या (ii) व्यावहारिक रूप से जीवित नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम उसी से संबंधित प्रासंगिक तथ्यों पर ध्यान देना उचित समझते हैं।

(43) पुनरावृत्ति की कीमत पर, यहाँ यह जोड़ा गया है कि धारा 4 के तहत पहले दौर की अधिसूचना 13.11.1981 पर जारी की गई थी।इसके बाद 15.11.1984 पर अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी की गई।इसे चुनौती देने के लिए दायर 1984 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 5623

को इस न्यायालय द्वारा 24.10.1985 पर खारिज कर दिया गया था।जब मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित था, तो इस मुद्दे को पक्षों के बीच हल किया गया था और 8.6.1987 पर 'देने और लेने के समझौते' पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके संदर्भ में राज्य 47.74 एकड़ भूमि जारी करने के लिए सहमत हुआ था।याचिकाकर्ताओं ने रुपये भी जमा किए थे। विकास शुल्क के लिए किश्त के रूप में 1 लाख।इसके बाद 7.12.1988 पर, अधिनियम की धारा 4 के तहत फिर से अधिसूचना जारी की गई।प्रारंभ में मैसर्स रानी शेवर पोल्ट्री फार्म, मैसर्स जवाला टेक्सटाइल्स मिल्स, मैसर्स इंडो स्विस टाइम्स लिमिटेड, आनंद फ़ार्म्स आदि के स्वामित्व वाली भूमि का भी याचिकाकर्ताओं की भूमि के साथ अधिग्रहण किया गया था और सभी मामलों में इसे 'देने और लेने के समझौते' पर हस्ताक्षर करने पर अधिग्रहण से मुक्त कर दिया गया था।हालाँकि, बाद में केवल याचिकाकर्ताओं के स्वामित्व वाली भूमि को अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचित किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 5ए के तहत आपत्तियां दायर कीं, साथ ही याचिका दायर की कि विचाराधीन भूमि का उपयोग स्टड फार्म के रूप में किया जा रहा है।इसका उपयोग प्रजनन, घोड़ों के पालन के लिए किया जा रहा है, जिनका निर्यात भी किया जा रहा था।अधिग्रहित भूमि पर कृषि, बागवानी और डेयरी खेती की गतिविधियाँ की जा रही थीं।आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए खुले क्षेत्रों की आवश्यकता होती है क्योंकि यह एक स्टड फार्म था।10, 000 से अधिक पेड़ जो वर्षों पहले लगाए गए थे, वे पूरी तरह से उगाए गए थे।2,

000 से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया था।उनमें से कई को परिसर में आवासीय आवास प्रदान किया गया है।भेदभाव का मुद्दा उठाया गया।

(44) अपनी रिपोर्ट में, कलेक्टर ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए और यह उल्लेख करते हुए कि स्थल के निरीक्षण पर, उन्होंने ए, बी और सी श्रेणी की संरचनाओं को पाया और यह तथ्य कि पहले भूमि का अधिग्रहण किया गया था और जारी किया गया था, यह निर्णय कि भूमि का अधिग्रहण करने की आवश्यकता है या नहीं, सरकारी स्तर पर छोड़ दिया गया था।इसके बाद, इस मामले को निदेशक, शहरी संपदा के समक्ष रखा गया।उन्होंने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए भेदभाव की याचिका पर ध्यान दिया। अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करने से पहले उचित निर्णय लेने के लिए मामले को आगे बढ़ाया गया था। नगर और देश योजना आयुक्त ने सिफारिश की कि अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती क्योंकि परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ था।जब यह मामला मुख्यमंत्री के समक्ष आई. डी. 1 पर रखा गया, तो यह नोट किया गया कि सी. एम. ने आदेश दिया है कि याचिकाकर्ताओं के मामले में अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी की जाए क्योंकि अधिकांश भूमि खाली पड़ी थी।उन्होंने आगे आदेश दिया कि मेसर्स रानी शेवर पोल्ट्री फार्म और मेसर्स जवाला टेक्सटाइल मिल्स से संबंधित खाली भूमि को भी अधिसूचित किया जाए।इसके बाद, अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना 6.12.1989 पर जारी की गई,

जबकि अन्य भूमि मालिकों के मामले में, अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना 11.9.1990 पर जारी की गई थी।

(45) याचिकाकर्ताओं ने उपरोक्त अधिग्रहण को चुनौती देते हुए 1991 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 3822 दायर किया।5.12.1991 पर रिट याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान पुरस्कार पारित किया गया था, भले ही 11.3.1991 पर याचिकाकर्ताओं को यथास्थिति प्रदान की गई थी।पेड़ों और संरचनाओं के लिए पूरक पुरस्कार 25.8.1993 पर पारित किया गया था।1994 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 1152 पूरक पुरस्कारों को चुनौती देते हुए दायर किया गया था।यह तर्क दिया गया कि रिट याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान, याचिकाकर्ताओं ने फिर से अपनी भूमि को जारी करने के लिए प्रतिनिधित्व किया और यहां तक कि 21.3.1998 पर भी सिफारिशें की गईं।लेकिन रिट याचिका विचाराधीनता के कारण अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका।2013 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 27532 में अनुलग्नक पी-14) दिनांकित एक पत्र को रिकॉर्ड पर रखा गया है जिसमें दिखाया गया है कि मैसर्स रानी शेवर पोल्ट्री फार्म द्वारा 1993 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 11679 दाखिल करने के बाद, इसके स्वामित्व वाली भूमि को पुरस्कार की घोषणा के बाद भी जारी कर दिया गया था और उनके द्वारा दायर रिट याचिका इस अदालत के समक्ष लंबित थी।

(46) मैसर्स इंडो स्विस टाइम्स लिमिटेड के मामले में भी यही स्थिति थी जहां 1993 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 10456-मैसर्स इंडो स्विस टाइम **लिमिटेड और दूसरा बनाम भूमि अधिग्रहण कलेक्टर और दूसरा,** इसके

द्वारा दायर किए गए मामले को आई. डी. 1 पर वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया था, क्योंकि जुलाई, 1999 के महीने में पक्षों के बीच मामले का निपटारा किया गया था (2013 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 27532 में अनुलग्नक पी-15)।

(47) याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर 1991 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 3822 और 1991 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 3820,3821,3823 और 1994 की 1152 से 1155 वाली अन्य रिट याचिकाओं को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1 के फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में ले जाया गया था।यह निर्णय 2013 की दीवानी याचिका सं 2557 में 2.4.2013 पर दिया गया था।अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना को रद्द कर दिया गया क्योंकि अधिनियम की धारा 5-ए के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आपत्तियां 170 नहीं थीं वस्तुनिष्ठ रूप से माना जाता है।यह देखा गया कि मुख्यमंत्री के स्तर पर लिया गया निर्णय अधिनियम की धारा 6 (1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 5-ए (2) की योजना के अनुरूप नहीं था और सरकार द्वारा याचिकाकर्ताओं की भूमि को जारी करने से इनकार करने के परिणामस्वरूप समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ।इसके प्रासंगिक पैरास नीचे निकाले गए हैंः-

“33. उपरोक्त निर्णयों का अनुपात यह है दूसरे पक्ष को भी सुनो 5-ए (2), जो ऑडी अल्टरम पार्टेम के नियम के वैधानिक अवतार का प्रतिनिधित्व करती है, आक्षेपकर्ता को कलेक्टर को यह समझाने का प्रयास

करने का अवसर देती है दूसरे पक्ष को भी सुनो 4 (1) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उसकी भूमि की आवश्यकता नहीं है या इसे प्राप्त नहीं करने के अन्य वैध कारण हैं।वह धारा कलेक्टर के लिए यह भी अनिवार्य बनाती है कि वह आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों के साथ-साथ अपने द्वारा आयोजित कार्यवाहियों के रिकॉर्ड के साथ उपयुक्त सरकार को रिपोर्ट (रिपोर्ट) प्रस्तुत करे ताकि सरकार आपत्तियों पर उचित निर्णय ले सके।धारा 6 (1) में प्रावधान है कि यदि उपयुक्त सरकार धारा 5-ए (2) के तहत कलेक्टर द्वारा दी गई रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद संतुष्ट है कि निर्दिष्ट सार्वजनिक उद्देश्य के लिए विशेष भूमि की आवश्यकता है तो एक घोषणा की जानी चाहिए।इसका तात्पर्य यह है कि राज्य सरकार को कलेक्टर की रिपोर्ट पर ध्यान देना चाहिए और भूमि मालिकों और अन्य इच्छुक व्यक्तियों द्वारा दायर आपत्तियों पर अंतिम निर्णय लेना चाहिए।तभी धारा 6 (1) के तहत घोषणा की जा सकती है।

34. उपरोक्त चर्चा की अगली कड़ी के रूप में, हमारा मानना है कि मुख्यमंत्री के स्तर पर लिया गया निर्णय धारा 6 (1) के साथ पठित धारा 5-ए (2) की योजना के अनुरूप नहीं था।हम आगे मानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा अपीलार्थियों की भूमि को जारी करने से इनकार करने के परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत दिए गए समानता के उनके अधिकार का उल्लंघन हुआ है।

35. परिणामस्वरूप, अपीलों की अनुमति दी जाती है, विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और धारा 6 (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी घोषणा को रद्द कर दिया जाता है।हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह निर्णय राज्य सरकार को धारा 5-ए (1) के तहत अपीलार्थियों द्वारा दायर आपत्तियों पर निष्पक्ष रूप से विचार करने के बाद नया निर्णय लेने से नहीं रोकेगा।

36. यदि राज्य सरकार का अंतिम निर्णय अपीलार्थियों के लिए प्रतिकूल है, तो वे एक उपयुक्त न्यायिक मंच के समक्ष इसे चुनौती देने के लिए स्वतंत्र होंगे और अपने कारण के समर्थन में सभी कानूनी रूप से स्वीकार्य दलीलों का आग्रह करेंगे।"

(48) माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांकित आदेश की प्रति प्राप्त होने के तुरंत बाद, याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 5-ए के तहत पहले से दायर आपत्तियों को पूरा किया। याचिकाकर्ताओं के मामले का समर्थन करने वाले कार्यालय टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए भेदभाव की याचिका को दोहराने के अलावा पद्म सुंदर राव के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था।इसके अलावा, यह अनुरोध किया गया कि याचिकाकर्ता विकास योजना के अनुरूप भूमि को विकसित करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं।यहाँ तक कि कलेक्टर के समक्ष लिखित प्रस्तुतियाँ भी प्रस्तुत की गईं।कलेक्टर के समक्ष सुनवाई 20.6.2013 पर समाप्त हुई।कलेक्टर ने अपनी गैर-दिनांकित रिपोर्ट भेजी जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों

के कुछ हिस्से को पैरा-वार उत्तर के रूप में निपटाया गया था, जबकि कुछ कानूनी मुद्दे, विशेष रूप से भेदभाव की याचिका और अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना, माननीय राज्यपाल के फैसले को देखते हुए समाप्त हो गई थी। पद्म सुंदरा राव के मामले (ऊपर) में सुप्रीम कोर्ट भी नहीं छू लिया।

(49) राज्य द्वारा प्रस्तुत फाइल में नोटिंग भाग के पृष्ठ 24 पर 15.4.2013 दिनांकित नोटिंग के अवलोकन से, जिसमें 28.1.2013 से शुरू होने वाले नोटिंग हैं, ए. डी. ए. द्वारा यह दर्ज किया गया है कि कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट 10.4.2013 दिनांकित पत्र के माध्यम से भेजी थी, जिसमें धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचना जारी होने की तारीखों का उल्लेख किया गया था।उन्होंने कहा कि अधिनियम की धारा 6 के तहत नई घोषणा जारी करने के लिए कोई समय नहीं बचा है। उन्होंने आगे का समय देने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा आवेदन दायर करने की सिफारिश की।पीठ्म सुंदर राव के मामले (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले का भी संदर्भ दिया गया था, जिसकी प्रति फाइल में उपलब्ध थी।ए. डी. ए. ने फाइल पर विचार करते हुए राय दी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुए वकील की राय प्राप्त की जाए।ए. डी. ए. द्वारा नोट किए जाने पर, शहरी संपदाओं के अतिरिक्त निदेशक ने राय दी कि यदि अधिनियम की धारा 5-ए के तहत कार्यवाही के समापन और अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए कोई समय उपलब्ध नहीं है, तो

केवल नई अधिसूचना जारी करना उपलब्ध है।इस मामले को महाधिवक्ता की राय के लिए भेजा गया था।तत्कालीन महाधिवक्ता ने पीठ्म सुंदर राव के मामले (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले का कोई संदर्भ दिए बिना जिसकी प्रति फाइल पर उपलब्ध थी और विशेष रूप से टिप्पणियों में संदर्भित थी, राय दी कि अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना को केवल रद्द कर दिया गया था।अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना अभी भी बनी हुई है और सरकार को अधिनियम की धारा 5-ए के तहत दायर आपत्तियों पर विचार करते हुए निष्पक्ष रूप से अंतिम निर्णय लेना था।

(50) अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपत्तियों को सुनने के बाद कलेक्टर द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को शहरी संपदा विभाग में निपटाया गया था।प्रारंभिक टिप्पणी ने सुझाव दिया कि हालांकि कलेक्टर ने भूमि अधिग्रहण के लिए सिफारिशें की थीं, लेकिन उन्होंने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई प्रत्येक आपत्ति के लिए अलग-अलग सिफारिशें नहीं की थीं।भेदभाव की दलील पर कोई टिप्पणी नहीं की गई।इसलिए, जे. एस. आई. सी. की रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए। 29.7.2013 पर कार्यालय ने 13.6.2013 पर आयोजित अपनी बैठक में JSIC की सिफारिशों की प्राप्ति पर ध्यान दिया।इसके बाद नोट में सुझाव दिया गया कि अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना तैयार की गई और अधिकारियों के समक्ष रखी गई।(51) निदेशक, नगर योजना, दिनांक 1 द्वारा रखे गए ध्यान दें में, उन्होंने सुझाव दिया कि जे. एस. आई. सी. को याचिकाकर्ताओं द्वारा

कलेक्टर के साथ दायर आपत्तियों पर सिफारिशें भेजने का निर्देश दिया गया था।पहले के अधिग्रहण और मुकदमेबाजी के इतिहास और अधिग्रहित भूमि पर याचिकाकर्ताओं द्वारा की जा रही गतिविधियों को दर्ज करते समय, यह देखा गया कि भूमि आवासीय क्षेत्र में आती है जहां स्टड फार्म गतिविधि की अनुमति नहीं है।यह आसपास के क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकता है। अधिनियम की धारा 6 के तहत मसौदा अधिसूचना संलग्न की गई थी।जबकि अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया अभी भी जारी थी, अतिरिक्त निदेशक, शहरी संपदा, ने मामले के पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए दिनांक 2.9.2013 की अपनी टिप्पणी में इस न्यायालय के फैसले पर ध्यान दिया। पद्मश्री श्रीमती. अंजोली इला मेनन का मामला (ऊपर), जहाँ अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना को समय प्रतिबंधित होने के कारण रद्द कर दिया गया था और इसके परिणामस्वरूप यह राय दी गई थी कि अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना समाप्त हो गई थी। उपरोक्त निर्णय का ध्यान दें करते हुए, नोट में सुझाव दिया गया है कि हालांकि महाधिवक्ता की पूर्व राय रिकॉर्ड में है, इस मामले पर उच्च न्यायालय के नवीनतम आदेश को देखते हुए विचार किया जा सकता है।नगर और देश योजना के महानिदेशक ने इस सुझाव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मामले की जांच पहले ही की जा चुकी है।

(52) प्रधान सचिव, नगर और देश योजना के ध्यान दें में सुझाव दिया गया है कि अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करने से

पहले, एल. आर. से राय ली जानी चाहिए कि क्या अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना कानूनी रूप से टिकाऊ होगी। जब फाइल को मुख्यमंत्री के सामने रखा गया, तो उन्होंने इसे मंजूरी दे दी।इस मामले को राय के लिए एल. आर. को भेजा गया था।एल. आर. कार्यालय में रखे गए ध्यान दें में, माननीय की संविधान पीठ का संदर्भ दिया गया था पद्म सुंदरा राव के मामले में सर्वोच्च न्यायालय (ऊपर), और **पद्मश्री में इस न्यायालय की खण्ड पीठ का निर्णय श्रीमती. अंजोली इला मेनन का मामला (ऊपर)।सहायक एल. आर. (ऑप.) ने पीठ्म सुंदर राव के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले या इसके बाद के फैसले का उल्लेख किए बिना महाधिवक्ता की राय को दोहराया।** पद्मश्री में न्यायालय श्रीमती. अंजोली इला मेनन का मामला (ऊपर)। इसके बाद, अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करने को मंजूरी दी गई और इसे 15.10.2013 पर अधिसूचित किया गया।

(53) ऊपर देखे गए तथ्यों से, यह बहुत अच्छी तरह से माना जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आपत्तियों को मुकदमे के पहले दौर में याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपील पर निर्णय लेते समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के संदर्भ में निष्पक्ष रूप से नहीं माना गया था। यहां तक कि टिप्पणी में यह भी सुझाव दिया गया था कि कलेक्टर ने केवल यह राय दी थी कि दायर आपत्तियों में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर अपनी सिफारिशें दिए बिना भूमि का अधिग्रहण किया जाए। जब राज्य द्वारा कलेक्टर की रिपोर्ट की जांच की

गई, तो इस मुद्दे पर जे. एस. आई. सी. से एक और रिपोर्ट मांगी गई कि क्या भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए या नहीं।आपत्तियों को अस्वीकार करने के लिए इसे आधार बनाया गया था।पीठ्म सुंदर राव के मामले (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले और पीठ्मश्री मामले में इस न्यायालय के फैसले के संदर्भ में अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करने की सीमा के बारे में कार्यालय टिप्पणियों में कुछ अधिकारियों द्वारा उठाया गया कानूनी मुद्दा। अंजोली इला मेनन के मामले (ऊपर) को खारिज कर दिया गया, जबकि फैसलों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया।याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए भेदभाव की याचिका, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुकदमे के पहले दौर में सराहनीय पाया गया था, को छुआ भी नहीं गया।वास्तव में निर्णयों का उल्लेख न तो तत्कालीन महाधिवक्ता की राय में किया गया था और न ही सहायक एल. आर. (ऑप.) की राय में।सहायक एल. आर. (ऑप.) की राय एल. आर. द्वारा से भी नहीं दी गई थी। इसे सीधे प्रधान सचिव, नगर और देश योजना को भेजा गया था।व्यवस्था में सुधार की जरूरत है।

(54) अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपत्तियों पर विचार करने में केवल तथ्यात्मक पहलुओं पर गुण-दोष का मुद्दा शामिल नहीं होगा, बल्कि इसमें कानूनी मुद्दा भी शामिल हो सकता है, जैसा कि वर्तमान मामले में उठाया गया था कि अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना स्वयं 174 के साथ समाप्त हो गई थी।

इसलिए समय के साथ अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती थी।उपरोक्त कानूनी मुद्दे को बस कालीन के नीचे साफ कर दिया गया था।इसलिए, यह राय दी जा सकती है कि अधिनियम की धारा 5-ए के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आपत्तियों पर निष्पक्ष रूप से विचार नहीं किया गया था।

(55) ऊपर बताए गए कारणों से, हमारी राय में, रिट याचिकाओं को अनुमति दी जानी चाहिए।अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के एक साल से अधिक समय बाद जारी की गई है और समय की पाबंदी के कारण इसे रद्द कर दिया गया है।एक आवश्यक परिणाम के रूप में अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो गई है।यहां तक कि अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना भी समाप्त हो गई है।

(56) यदि कानूनी रूप से अनुमति है तो किसी भी मामले में उपरोक्त अधिसूचनाओं को रद्द करने से राज्य को भूमि अधिग्रहण के लिए कोई नई कवायद करने से नहीं रोका जा सकेगा।

(57) रिट याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्येश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

(नरेंदर)

ट्रांसलेटर

कोर्ट ऑफ़ श्री के. पी. सिंह,

एडिशनल सेशंस जज, भिवानी !